| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट<br>हरलाल बनाम रुकमादेवी लदार 2019/00239 | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ |
|---|---|---|

**पीठासीन अधिकारी**
**श्री शिवपाल जाट, आर.ए.एस.**

उपस्थिति –

श्री अजीज खान अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री जगराम मीणा, राजपैरोकार

## निर्णय

दिनांक :– 17/9/24

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री अजीज खान ने पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम टापरवाडा में खसरा नम्बर 872 रकबा 2.4300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 911 रकबा 2.6700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 912 रकबा 2.6700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 913 रकबा 2.75 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 91 रकबा 0.8200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 919 रकबा 1.8200 हैक्टेयर, कुल रकबा 13.1600 हैक्टेयर स्थित हैं। उक्त आराजियात प्रार्थीगण की पैतृक खातेदारी की कृषि भूमि हैं प्रार्थी संख्या 1 हरलाल पुत्र देवा के स्थान पर हरलाल पुत्र तेजा का गलत अंकन हो गया जिसको सही हरलाल पुत्र देवा सही दर्ज करवाना है तथा प्रार्थी संख्या 2 मोहनराम पुत्र बालूराम जिसमे बालूराम पुत्र देवा के स्थान पर बालू पुत्र तेजा गलत दर्ज हो गया है जिसकी जानकारी हाल ही मे नकल लेने पर हुई है तथा खाता संख्या 291 खसरा नम्बर 828 रकबा 0.4500 हैक्टेयर जिसमे हरलाल पुत्र देवा सही दर्ज हैं बालूराम के वारिसान का फोतगी नामान्तकरण दर्ज हो चुका है तथा प्रार्थीगण के सभी दस्तावेजात में सही नाम दर्ज हैं इसलिये राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के पिता व दादा का सही नाम दुरूस्त करने का निवेदन किया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 19 बाद तामिल अनुपस्थित रहे जिनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई तथा अप्रार्थीगण संख्या 20 राजपैरोकार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब मय जमाबन्दीयो के प्रस्तुत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

प्रस्तुत प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व राजस्व रेकर्ड , व तहसीलदार परबतसर के जवाब मय संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत जमाबन्दियो के अनुसार खसरा नम्बर 872 रकबा 2.4300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 911 रकबा 2.6700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 912 रकबा 2.6700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 913 रकबा 2.75 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 91 रकबा 0.8200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 919 रकबा 1.8200 हैक्टेयर, कुल रकबा 13.1600 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी 1 का नाम हरलाल पुत्र तेजा अंकित है, जिसके स्थान पर हरलाल पुत्र देवा दर्ज करवाना चाहते है तथा खसरा नम्बर 828 रकबा 045 हैक्टयर भूमि में प्रार्थी संख्या 2 मोहनराम पुत्र बालूराम दर्ज है जिसके स्थान पर मोहनराम पुत्र देवा दर्ज करने का निवेदन किया है प्रार्थीगण ने प्रार्थ्ज्ञना पत्र के साथ नमबन्तरण संख्या 737 की प्रति पेश की है जिसमें दो खाते है जिसमें खाता संख्या 27 देवा उर्फ तेजा पुत्र पूसाराम कौम जाट सा. देह खातेदार तथा खाता संख्या 28 में बचना पुत्र देवाराम दर्ज है के फौत होने पर विरासत का नामान्तकरण दर्ज किया गया है जिसमें बालूराम, हरलाल पि. तेजा व शिवराम औमप्रकाश पि. बचना , हाबूदेवी बेवा बचना दर्ज किया गया है। जिसमें देवा उर्फ तेजा पुत्र पूसाराम तथा बेचाना पुत्र देवाराम दो अलग अलग खातेदार है यानि देवाराम व तेजाराम दो अलग अलग व्यक्ति अंकित है तथा राजस्व रेकार्ड में जो परिर्वतन हुआ है वह फौतगी नामान्तकरण से दर्ज हुआ है, जो सही है अथवा गलत यह इस प्रकरण से तय नहीं हो सकते है। प्रार्थीगण का प्रकरण धारा 136 एल.आर.एक्ट में प्रतिपादित नियम में नहीं आता है जिससे स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 17.9.21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/9/21

(शिवपाल जाट)

उपखण्ड अधिकारी

परबतसर

उपखण्ड अधिकारी

परबतसर (नागौर)